

प्रेषक,

सेवा में

उपायुक्त, गुरुग्राम।

M/s Y Con Infra,
212, IInd Floor, Bestech Chamber,
Sushant Lok-1, Gurugram.

क्रमांक 06 / एम0बी0

दिनांक 02/01/2026

विषय:-

NOC for Aravali Clearance for setting up of Affordable Group Housing Colony over an area measuring 13.275 acres in the revenue estate of Village- Pataudi, Sector-3, Pataudi, District Gurugram.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, पटौदी व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, पटौदी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 683/रीडर दिनांक 16.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा पटौदी, तहसील पटौदी, के प्रार्थना पत्र में वर्णित किला/खसरा नम्बरान से संबंधित बिन्दुवार रिपोर्ट इस प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा/किला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन के अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी जरई की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजड बीहड या रुद्र नहीं है।
3. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी साल 1976-77 ता 1986-87 तक भूड व कदीम दर्ज है वा 07.05.1992 के नोटिफिकेशन बाद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी साल 1991-92 ता हाल चाही दर्ज है।
4. प्रार्थना पत्र में वर्णित दर्शाई गई अराजी जरई मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/नगरपालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही।
5. प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजी जरई का किसी माननीय न्यायालय से संबंधित केस का इन्द्राज हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी साल 2021-22 की खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजी जरई NCZ (National Conservation Zone) SEZ (Special Econimical Zone) में नहीं आती।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित किला नम्बरान पर धारा 4 व 6 व अवार्ड से संबंधित कोई इन्द्राज हाल जमाबंदी साल 2021-22 में कोई इन्द्राज खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/किला नम्बरान में मु0 नं0 56//7/2-13/3-14/2-16-17/2-18/1-23/1/3-24/1-25/1 पर बरूवे ई0 नं0 17051 बै के रूह श्री रमेश कुमार यादव पुत्र होशियार सिंह यादव पुत्र जुगलाल मालिक है। वा मु0 नं0 56//7/1-14/3-15-17/1 पर बरूवे ई0 नं0 17007 तकसीम से रमेश कुमार यादव पुत्र होशियार सिंह यादव पुत्र जुगलाल मालिक है। वा मु0 नं0 55//1/2/3-2/2/2-9/2-10-11-12/1-19/1/2-20/1, 56//5/2 /1-6 पर बरूवे ई0 नं0 17500 की रूह से मुकुल कुमार यादव आदि मालिक है वा मु0 नं0 56//5/2/5, 55//1/2/2-2/2/1-9/1-12/2-19/1/1 पर बरूवे ई0 नं0 17524 तकसीम की रूह से ज्योति यादव पत्नी मनोज यादव पुत्र सत्यवीर सिंह आदि मालिक है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1438-G दिनांक 24.11.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 04.08.2025 को (M/s Y Con Infra) को गांव Pataudi, जिला गुरुग्राम के 13.275 Acre एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन निम्नलिखित शर्त अनुसार जारी की गई है:- 1. As per tree felling is involved hence premision of tree felling also be obtained. 2. Approval of Aravalli NOC also be obtained from the Pollution Control Board/DC Office. जिसमें लिखा है कि Applicant Sh. Harsh Yadav, having Rectangle No./Murba No./Killa No. 55//1/2/3(2-9), 2/2/2(1-12), 9/2(5-4), 10(8-0), 11(8-0), 12/1(5-4), 19/1/2(1-14), 20/1(2-13), 1/2/2(2-7), 2/2/1(5-19), 9/1(2-16), 12/2(2-16), 19/1/1(0-19), 56//7/2(6-8), 13/3(1-0), 14/2(6-7), 16(8-0), 17/2(7-10), 18/1(1-3), 23/1/3(0-3), 24/1(1-2), 25/1(1-2), 7/1(2-3), 14/3(1-12), 15(8-0), 17/1(0-10), 56//5/2/1(3-0), 6(8-0), 5/2/5(0-11) Total Land Measuring 13.275 Acre In The Revenue Estate Of Village Pataudi, Tehsil Pataudi, District Gurugram made a proposal to use this land for Affordable Group Housing Colony. It is made clear that:-

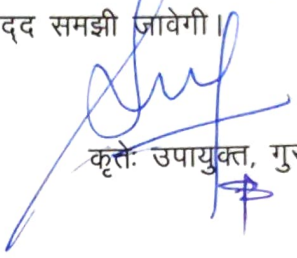
- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Y Con Infra**, whose land is located at **Village Pataudi, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To the Conditions Mentioned Above And If There Is A Need For Cutting Trees, It Will Be Mandatory To Obtain Separate Permission.

2025

अतः तहसीलदार, पटौदी व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट व वर्णित शर्तों अनुसार आपको Village Pataudi, District Gurugram के कीला नम्बरान की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी। जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/कम्पनी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बन्धित कीला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।


कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।